

अनुसूचियां SCHEDULES

वर्ष 2006-2007 के लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2006-2007

अनुसूची – 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

17.1 लेखांकन का आधार:

ये लेखे लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की संकल्पना का अनुगमन करते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर सामंजस्य रखते हुए तैयार किए गए हैं तथा जहां कहीं भी अन्यथा उल्लेख हो, उसे बनाए रखते हुए सांविधिक प्रावधानों एवं स्वीकृत मानक लेखांकन परंपराओं के अनुरूप है।

17.2 विनिधान

क) वर्गीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त विनिधानों को तीन श्रेणियों में अर्थात् परिपक्वता तक धारित विक्रय हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु धारित में वर्गीकृत किया गया है तथा लेखों में उन्हें छः श्रेणियों में प्रकट किया गया है।

ख) मूल्य-निर्धारण:

विनिधानों का मूल्य-निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ग) आधार:

'परिपक्वता तक धारित'

जहाँ कहीं औसत बही मूल्य अंकित मूल्य/ऋण परिशोधन मूल्य से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त रकम को प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया गया है। तदनुसार निवेश को लागत में से परिशोधन को कम करके आँका गया है।

'बिक्री के लिए उपलब्ध तथा 'व्यापार के लिए धारित'

इन विनिधानों को बाजार के लिए पहचान करके अलग रखा जाता है। प्रत्येक छः श्रेणियों के लिए मूल्यहास/परिवर्धन को मिला लिया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल मूल्यहास यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है, किन्तु निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है।

घ) कार्यविधि

बैंक औसत लागत विधि का निरन्तर अनुपालन करता है। निवेश के मामले में उचित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य, 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणियों सहित को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बाजार भाव दरों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य-सूची के आधार पर लिया गया है।

जहाँ बाजार भाव उपलब्ध न हो और गैर सूचित प्रतिभूतियों के मामले में मूल्य का निर्धारण भारतीय प्राथमिकता विक्रेता संघ द्वारा नियत आय-मुद्रा बाजार और भारतीय प्रयुत्पत्री संघ के साथ संयुक्त रूप से घोषित मूल्य/परिपक्वता आय पर तथा एआरसी /एससी की म्युचुअल फंड की यूनिटों/एसआर के निवल आस्ति मूल्य एवं कंपनियों के शेयरों के निवल बही मूल्य के आधार पर किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयरों पूंजी जमाराशियों सहित विनिधान और खजाना बिल, वाणिज्य पत्र पर ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बाँड का मूल्यन चलित लागत पर किया गया है।

ङ) आय निर्धारण एवं विवेकपूर्ण मानदंड:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण एवं विनिधानों के प्रावधान के संबंध में निर्मित किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है।

विनिधान लेनदेनों पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि के ब्याज आदि को लेने-देने के वर्ष में लाभ हानि लेखे में नामे / जमा किया गया है।

SCHEDULE – 17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

17.1 BASIS OF ACCOUNTING

These accounts are prepared by following the going concern concept on historical cost basis, consistently, and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles, save as otherwise stated.

17.2 INVESTMENTS

a) Classification:

As per Reserve Bank of India guidelines, Investments are classified in three categories viz.; Held to Maturity, Available for Sale & Held for Trading and are disclosed in the accounts in six classifications, net of depreciation provision.

b) Valuation:

Investments are valued as per Reserve Bank of India guidelines as follows:

c) Basis:

'Held to Maturity'

Wherever the average book value is higher than the face value/redemption value, such excess amount is amortized over the remaining period of maturity of the security adopting constant yield method. Accordingly, investments are valued at cost less amortization.

'Available for Sale' and 'Held for Trading'

These Investments are marked to market scrip wise. Depreciation/Appreciation for each of six classifications is aggregated; net depreciation, if any, for each classification is provided for, but net appreciation is ignored.

d) Methodology:

The Bank follows Average Cost Method consistently. Market value of quoted securities in case of Investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is taken based on market quotations of recognized stock exchange/s or price list of Reserve Bank of India.

Where market quotes are not available and in case of unquoted securities, value is determined based on Prices / Yield to Maturity declared by Primary Dealers Association of India jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India and Net Asset Value in case of units of Mutual Funds / SRs of ARCs / SCs and Net Book Value in case of Shares of Companies.

Treasury Bills, Commercial Papers, Rural Infrastructure Development Bonds and Investments including Share Capital Deposits in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

e) Income Recognition and Prudential Norms:

The Bank has followed prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification, Income Recognition and Provisioning on Investments.

Commission, brokerage, broken period interest etc. on investment transactions are debited / credited to Profit and Loss Account in the year of transaction.

अनुसूचियां SCHEDULES

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत विनिधानों में से विनिधानों की बिक्री से हुए लाभ को हानि लेखे में लिया जाता है और उसवेक बाद आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है. बिक्री पर हानि को लाभ एवं हानि खाते में समाहित किया जाता है.

17.3 अग्रिम:

- क) बैंक ने आस्ति वर्गीकरण आय निर्धारण और अग्रिम के लिए प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों का अनुसरण किया है तथा तदनुसार अपने अग्रिमों को मानक उपमानक, संदिग्ध एवं अशोध्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया है.
- ख) अग्रिम, एनपीए के लिए प्रावधान घटाने के उपरान्त दर्शाए जाते हैं.
- ग) मानक आस्तियों पर विवेकसम्मत प्रावधान और पुनर्गठित मानक खातों से संबंधित अधित्याग के प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची सं. 5 में 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान-अन्य' में शामिल किए जाते हैं.
- घ) एनपीए खातों में की गई वसूली सर्वप्रथम बकाया मूलधन में समायोजित की जाती है एवं अधिशेष राशि यदि कोई हो, तो उसे आय माना जाता है.
- ङ) आस्ति पुर्ननिर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.) को बेची गई वित्तीय संपत्तियों के मामलों में यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) अर्थात् बही मूल्य-प्रावधान से कम है तो उसे लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो प्रावधान की अधिक राशि को प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसका उपयोग आस्ति पु. कं./प्रति. कं. को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में होने वाली हानि की भरपाई हेतु किया जाएगा.
- च) बैंको/वित्तीय संस्थाओं/गै. बै. वि. कं. को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) से कम है तो उसे लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया है और यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो प्रावधान की अधिक राशि को प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसका उपयोग बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में होने वाली हानि की भरपाई हेतु किया जाएगा.

17.4 अचल आस्तियां और मूल्यहास

- क) परिसर (कुछेक परिसरों को छोड़कर जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर दर्शाया गया है) एवं स्थिर आस्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है.
- ख) परिसर में कतिपय संपत्तियों से संबंधित भूमि की ऐसी लागत शामिल है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है.
- ग) मूल्यहास अवलिखित मूल्य पद्धति पर आयकर नियम 1962 के तहत निम्न को छोड़कर निर्धारित दरों पर लगया गया है.
- i) कम्प्यूटर हार्डवेयर जो 01.04.2000 से पहले खरीदे गये हैं, पर 25% प्रतिवर्ष की दर से डब्ल्यू. डी. वी. विधि से मूल्यहास लगाया जाता है जबकि कम्प्यूटर हार्डवेयर जिनको 01.04.2000 को या उसके बाद खरीदा गया है उन पर मूल्यहास की सीधी रेखा विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यहास लगाया जाता है ।
- ii) 80 वर्गमीटर तक या उससे कम क्षेत्र वाले आवासीय परिसर पर मूल्यहासित मूल्य पद्धति से 5% की दर से मूल्यहास लगाया जाता है.
- घ) पट्टाधारित भूमि की लागत का परिशोधन, पट्टे की अवधि हेतु किया गया है.

Profit on sale of investments pertaining to investments under "Held to Maturity" category is taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated to "Capital Reserve Account". Loss on sale will be recognized in the Profit & Loss Account.

17.3 ADVANCES

- a) The Bank has followed prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification, Income Recognition and Provisioning on Advances and has accordingly classified its advances into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss Assets.
- b) Advances are shown net of Provisions for Non Performing Assets.
- c) Prudential provision on Standard Assets and provision on account of 'Sacrifice on Restructured Standard Accounts' are included in 'Other Liabilities and Provisions—Others' in Schedule 5 to the Balance Sheet.
- d) Recoveries in Non Performing Advances are first appropriated towards principal outstanding and surplus if any, is recognized as income.
- e) In case of financial assets sold to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), i.e. Book Value Less Provision Held, the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision will not be reversed but will be utilized to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.
- f) In case of financial assets sold to the Banks, FIs. NBFCs, if the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision will not be reversed but will be utilized to meet the shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets.

17.4 FIXED ASSETS & DEPRECIATION

- a) Premises (except certain premises which have been stated at revalued amount) and other fixed assets are stated at historical cost.
- b) Premises include cost of land in respect of certain properties where the same cannot be segregated.
- c) Depreciation is charged on Written Down Value (W.D.V.) method at the rates prescribed under the Income Tax Rules, 1962 except
- i) Computer hardware purchased before 01.04.2000 are depreciated @ 25% p.a. on W.D.V. method and purchased on or after 01.04.2000 are depreciated @ 33.33% on Straight Line Method.
- ii) Residential premises admeasuring less than or equal to 80 sq. m. are depreciated @ 5% p.a. on W.D.V. method.
- d) Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

अनुसूचियां SCHEDULES

- ड) पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर आरोपित किया गया अवक्षयण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित लेखा पर प्रभारित किया गया है।
- च) स्थिर आस्तियों में प्रगतिशील कार्य से संबंधित पूँजी शामिल है।
- छ) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खर्चों को अमूर्त आस्तियां माना गया है तथा उन्हें पांच वर्षों के बाद परिशोधित किया गया है, जिसे उन आस्तियों का समुचित आर्थिक जीवन माना जाता है।

17.5 गैर-बैंकिंग आस्तियां

गैर-बैंकिंग आस्तियों का उल्लेख लागत पर किया जाता है।

17.6 राजस्व निर्धारण

- क) बैंक गैर निष्पादक अग्रिमों/विनिधानों पर ब्याज/बट्टा, साख पत्र पर कमीशन, लॉकरों का किराया, करों की वापसी पर ब्याज, लाभांश प्राप्तियां, किराया आय, म्यूचुअल फंडों की यूनिटों पर आय तथा अतिदेय सावधि जमाराशियों पर ब्याज जैसे मामलों को छोड़कर, जहां आय/व्यय का निर्धारण नकद आधार पर किया जाता है, के लिए लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली अपनाता है।
- ख) परिपक्व आवधिक जमाराशियों के मामलों में ब्याज का लेखांकन उनके नवीकरण पर ही किया जाता है।
- ग) शेयरों / बांडों के निर्गम पर किया गया खर्च व्यय वर्ष में निर्धारित किया गया है।
- घ) उचित प्राप्ति में 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक पड़े गैर दावाकृत जमा शेषों को 'विविध आय' के रूप में लेखांकित किया जा रहा है।
- ड) बट्टे खाते डाले गये अग्रिमों / विनिधानों में हुई वसूली को विविध आय के रूप में लेखांकित किया जा रहा है।
- च) दायर वाद खातों के मामलों में कानूनी खर्चों को लाभ एवं हानि लेखे में डाला जाता है।

17.7 स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना खर्च का निर्धारण

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना पर खर्च रकम को खर्च वाले वर्ष में निर्धारित किया जाता है।

17.8 विदेशी विनिमय

- क) बैंक बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन फेडआई द्वारा वर्षान्त में जारी दरों पर करता है तथा इस प्रकार के पुनर्मूल्यांकन के फल स्वरूप होने वाले लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि लेखों में दर्शाया गया है। गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, परांकों और विदेशी मुद्रा की अन्य बाध्यताओं को तुलन पत्र में दर्शाने हेतु वर्षान्त में फेडआई द्वारा जारी दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है।
- ख) आय एवं व्यय से संबंधित मदों को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर निर्धारित किया गया है।

17.9 कर्मचारी सुविधा

ग्रेज्युटी, पेशन एवं सेवानिवृत्ति होने पर देय अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार उपचित आधार पर किए जाते हैं।

17.10 आय पर कर

- क) चालू कर का निर्धारण प्रचलित कर दरों, कर नियमों तथा न्यायिक उद्घोषणाओं/विधिक सम्मतियों का उपयोग करते हुए कराधान प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली अपेक्षित रकम के आधार पर किया जाता है।
- ख) आस्थगित कर, जिसमें उक्त अवधि के लिए कर योग्य एवं लेखांकन आय के बीच के समय अंतराल का कर प्रभाव शामिल है, की पहचान आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित नीति प्रतिफल को ध्यान में रखकर की जाती है।

- e) Depreciation attributable to revalued portion is charged to the Revaluation Reserve Account.
- f) Fixed Assets include Capital Work-in-Progress.
- g) Computer software expenses are considered as intangible assets and are amortized over a period of five years, which is considered as useful economic life of such assets.

17.5 NON BANKING ASSETS

Non Banking Assets are stated at cost.

17.6 REVENUE RECOGNITION

- a) The Bank follows mercantile system of accounting except in cases where income/expenses are recognized on cash basis i.e. interest/ discount on non-performing loans – advances/investments, commission on letters of credit/ bank guarantees/ Govt. Business / distribution of Third party products, locker rent, interest on refund of taxes, dividend, income on units of mutual funds and rent.
- b) In case of matured Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed.
- c) Expenses incurred on the issue of shares, bonds etc. are recognized in the year of incurrence.
- d) Unclaimed credit balances lying in Suspense Receipts for more than five years are being accounted for as 'Miscellaneous Income'.
- e) Recoveries in written off advances / investments are being accounted for as 'Miscellaneous Income'.
- f) In case of suit filed accounts, legal expenses are charged to Profit and Loss account.

17.7 TREATMENT OF VRS EXPENDITURE

Expenditure on VRS is recognized in the year of incurrence.

17.8 FOREIGN EXCHANGE

- a) The Bank revalues all foreign currency assets and liabilities including outstanding forward foreign exchange contracts in foreign currency at year-end rates issued by FEDAI and the resultant profit/loss arising out of such revaluation is accounted for in the Profit & Loss Account. Guarantees, letters of credit, acceptances, endorsements and other obligations in foreign currency are revalued at year-end rates issued by FEDAI for the purpose of Balance Sheet Exposure.
- b) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

17.9 STAFF BENEFITS

Provisions for Gratuity, Pension and Leave Encashment payable on retirement are made as per actuarial valuation.

17.10 TAXES ON INCOME

- a) Current tax is provided at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using applicable tax rates, tax laws and judicial pronouncements / legal opinions.
- b) Deferred tax, comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting incomes for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of deferred tax assets.

अनुसूचियां SCHEDULES

17.11 निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण निम्नलिखित के पश्चात किया जाता है।

- भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर के लिए समायोजन के साथ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप आयकर के लिए प्रावधान।
- संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान
- अग्रिमों के लिए प्रावधान
- निवेशों के मूल्य का समायोजन
- अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान

अनुसूची – 18

लेखा भाग के रूप में टिप्पणियाँ

- क) 28 फरवरी 2007 तक अंतर शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों का पता लगा लिया गया है और उनके समायोजन की परिणामी प्रक्रिया प्रगति पर है।
- ख) कुछ शाखाओं में सहायक बहियों/रजिस्ट्रों के संतुलन एवं उनके प्रधान खाताबही से समाधान का कार्य प्रगति पर है। देय मांग ड्राफ्टों, बिना सूचना भुगतान किए गए ड्राफ्टों, उद्यत खातों, भुगतान किए गए लाभांश/ब्याज अधिपत्रों, समाशोधन समायोजनों तथा सेवा शाखाओं और समायोजन में भाग लेने वाली शाखाओं के बीच समाधान सहित कुछेक लेखा शीर्षों में ऐसी बकाया प्रविष्टियाँ हैं जिनके समायोजन/समाधान की प्रक्रिया जारी है।
- ग) भारतीय रिज़र्व बैंक सहित विभिन्न बैंकों के कुछेक मामलों में अपर्याप्त सूचना के कारण बकाया प्रविष्टियाँ समायोजित नहीं की गई हैं।
- घ) ऊपर वर्णित लंबित समाधान/संतुलन/समायोजन का खातों पर परिणामी प्रभाव का इस समय पता लगाना संभव नहीं है।

18.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, खातों में मानक आस्तियों पर निम्न अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

- कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रत्यक्ष अग्रिमों पर 0.25%
- रु. 20 लाख से अधिक के आवासीय ऋणों पर 1.00%
- व्यक्तिगत ऋण, जमाराशियां न लेने वाली गै. बै. वि. कंपनियों को अग्रिम, पूंजी बाजार को साख तथा व्यावसायिक भूमि भवन ऋणों पर 2.00%
- अन्य मानक अग्रिमों पर 0.40%

18.3 भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित होने के कारण रु. 200 करोड़ के प्रतिभूतिकरण संव्यवहार को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रिमों में दर्शाया गया है।

18.4 शाखाओं द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के अनुसार 342 गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिमों के वर्गीकरण को प्रावधानों सहित सम्मिलित किया गया है।

18.5 बैंक ने इस वर्ष के लाभ रु. 201.56 करोड़ (गत वर्ष 72.99 करोड़) में से 60.47 करोड़ (गत वर्ष रु. 21.90 करोड़) की राशि को सांविधिक आरक्षितियों में तथा परिसरों के बिक्री व एचटीएम श्रेणी में रखे गये विनिधानों की बिक्री में से रु. 2.46 करोड़ (गत वर्ष रु. 41.85 करोड़) को पूंजी आरक्षितियों में (सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण को घटाकर) अंतरित किया है। बैंक ने चालू वर्ष हेतु

17.11 NET PROFIT

Net Profit is arrived at after:

- Provision for income tax in accordance with the statutory requirements with adjustments for deferred tax in terms of Accounting Standards 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India,
- Provision for Wealth Tax
- Provision for Fringe Benefit Tax
- Provision for Advances,
- Adjustments to the value of Investments,
- Other usual and necessary provisions.

SCHEDULE – 18

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

- क) Initial matching of entries in respect of Inter Branch transactions has been done up to 28th February 2007 for the purpose of reconciliation, which is in progress.
- ख) Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. Outstanding entries in some heads of account including demand drafts payable, drafts paid ex-advice, suspense accounts, dividend/ interest warrants, refund orders paid, clearing adjustments and reconciliation between service branches and participating branches in clearing are in the process of reconciliation/ adjustments.
- ग) In certain cases of Balances with Reserve Bank of India and other banks, outstanding entries have not been adjusted due to insufficient information.
- घ) Pending reconciliation/ balancing/adjustment as stated above, the consequential impact on the accounts is not ascertainable at this stage.

18.2 According to revised RBI guidelines, provision on standard assets has been given effect in the accounts as under.

- 0.25% on direct advances to Agriculture and SME
- 1.00% on housing loans more than Rs. 20 lacs
- 2.00% on personal loans, advances to non-deposit taking NBFCs, capital market exposure and commercial real estate loans
- 0.40% on other standard advances

18.3 A securitisation transaction of Rs. 200 crores has been continued as Advance, as in previous year, pending clarification from RBI.

18.4 In the case of 342 unaudited branches, the classification of advances and provisioning thereof has been incorporated as certified by the branches.

18.5 The Bank has transferred Rs. 60.47 crores (Previous year Rs. 21.90 crores) to Statutory Reserve out of profit of Rs. 201.56 crores for the year (Previous year Rs. 72.99 crores) & Rs. 2.46 crores to Capital Reserve (Net of Transfer to Statutory Reserve) (Previous year Rs. 41.85 crores) from the profit on

अनुसूचियां SCHEDULES

प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित रु. 26.84 करोड़ (गत वर्ष शून्य) के पश्चात रु. 111.79 करोड़ (गत वर्ष रु. 51.94 करोड़) को भी राजस्व आरक्षितियों में अंतरित किया है।

18.6 क) परिसरों में खरीदी गई ऐसी संपत्ति के रु. 0.22 करोड़ (गत वर्ष रु. 0.22 करोड़) भी शामिल है जिनके संबंध में अभी दस्तावेजों का पंजीयन लम्बित है।

ख) रु. 9.86 करोड़ के दावों के प्रतिफल में अधिगृहीत गैर बैंकिंग आस्तियां (भूमि) पंजीकरण हेतु लम्बित हैं।

18.7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है:

sale of investments held under HTM Category and Premises. The Bank has also transferred Rs.111.79 crores to Revenue Reserve (Previous year Rs. 51.94 Crores) after proposed dividend (inclusive of dividend tax) of Rs. 26.84 crores (Previous year: NIL).

18.6 a) Premises include Rs. 0.22 crores (Previous year Rs. 0.22 crores) in respect of properties purchased, for which the documents are pending for registration.

b) Non banking asset (land) acquired in satisfaction of claim amounting to Rs. 9.86 crores is pending for registration.

18.7 Disclosures in terms of RBI guidelines are as under:

क. a. पूंजी Capital:

मर्दे Items	2006-07	2005-06
i. सी आर ए आर CRAR (%)	11.52%	10.62%
ii. सी आर ए आर - प्रथम स्तरीय पूंजी (%) CRAR- Tier I capital (%)	6.06%	5.96%
iii. सी आर ए आर - द्विस्तरीय पूंजी (%) CRAR- Tier II capital (%)	5.46%	4.66%
भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	51.19%	51.19%
द्विस्तरीय पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि (रु. करोड़ में) Amount of subordinated debt raised as Tier II Capital (Rs. in crores)	—	—
द्विस्तरीय बांड के रूप में जुटाई गई राशि (रु. करोड़ में) Amount of Upper Tier II Bonds raised (Rs. in Crores)	300.00	—

ख. b. विनिधान Investments:

विनिधान संविभाग धारिता की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

i. The category wise position of holding of "Investment Portfolio" is as under:

(Rs. in crores)

श्रेणियां Categories	31.03.2007	31.03.2006
विनिधान का सकल मूल्य Gross Value of Investment		
क. A. परिपक्वता तक धारित Held to Maturity	7463.15	5950.40
ख. B. बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale	1858.56	2610.99
ग. C. व्यापार के लिए धारित Held for Trading	2.82	73.89
कुल Total	9324.53	8635.28
घटाएं: मूल्यहास Less: Depreciation	89.49	64.61
विनिधान का निवल मूल्य Net value of Investment	9235.04	8570.67
बैंक ने भारत से बाहर कोई विनिधान नहीं किया है। Bank does not have any investment outside India.		

ii. विनिधान पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का घट-बढ़

Movement of Provision for Depreciation on Investments:

(रु. करोड़ में)

(Rs. in crores)

विवरण Particulars	2006-07	2005-06
अथ शेष Opening Balance	64.61	24.55
जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provision made during the year	83.00	270.69
उप-योग Sub-Total	147.61	295.24
घटाएं : वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाले Less: Write off during the year	3.03	30.92
घटाएं : एचटीएम में अंतरित एएफएस/एचएफटी श्रेणी के तहत विनिधान के अंकित मूल्य को कम कर के समायोजित अवक्षयण Less: Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/HFT category shifted to HTM	55.09	199.71
इति शेष Closing Balance	89.49	64.61

अनुसूचियां SCHEDULES

iii. रेपो/प्रत्यावर्तित रेपो लेनदेन REPO/Reverse REPO Transactions:

क. चल निधि-समायोजन सुविधा (एलएएफ)

(रु. करोड़ में)

a. Liquidity Adjustment Facility (LAF)

(Rs. in crores)

ब्यौरा राशि	वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत शेष Daily average outstanding during the year	31.3.2007 को बकाया शेष Balance as on 31.3.2007
रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under repos	शून्य NIL	800.00	33.63	350.00
प्रत्यावर्तित रेपो के अन्तर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse repos	शून्य NIL	900.00	75.68	शून्य NIL

ख. b. अन्य - शून्य Others - NIL

गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग

iv. Non SLR Investment Portfolio:

क. गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(रु. करोड़ में)

a. Issuer Composition of Non SLR Investment:

(Rs. in crores)

क्र. सं.	जारी कर्ता Issuer	रकम Amount	निजी नियोजन का स्तर Extent of private placement	निवेश श्रेणी से कम वाली प्रतिभूतियों का स्तर Extent of 'below investment grade' securities	गैर रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का स्तर Extent of 'unrated' securities	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का स्तर Extent of 'unlisted' securities
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	499.72	491.37	31.25	69.50	103.25
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	178.30	178.30	27.77	5.63	31.91
3	बैंक Banks	174.14	149.12	—	5.00	60.00
4	निजी कार्पोरेट Private Corporates	202.20	141.60	—	50.10	50.10
5	सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	21.72	21.72	—	20.32	20.32
6	अन्य Others	438.17	438.17	43.85	49.76	49.76
	योग* Total*	1514.25	1420.28	102.87	200.31	315.34
7	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards depreciation	28.03				
	बहियों के अनुसार बकाया शेष Balance as per books	1486.22				

भारत सरकार द्वारा जारी गैर एस.एल.आर. प्रतिभूतियों के स्वरूप में विशेष सरकारी प्रतिभूतियाँ (वित्तीय मूल्य रु. 146.63 करोड़) उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं।

*Special Govt securities (FV Rs. 146.63 crores) in the nature of Non-SLR securities, issued by Government of India is not included above.

क. गैर-कार्यनिष्पादक गैर-एसएलआर विनिधान

(रु. करोड़ में)

b. Non-performing Non-SLR Investments:

(Rs. in crores)

ब्यौरा Particulars	राशि Amount
अथशेष Opening Balance	36.49
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2006 से परिवर्द्धन Additions during the year since 1st April, 2006	23.49
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ Reductions during the above period	35.79
इति शेष Closing Balance	24.19
किया गया कुल प्रावधान Total provisions held	12.19

अनुसूचियां SCHEDULES

- v. बैंक ने वर्ष के दौरान "परिपक्वता पर धारित" श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के लिए रु. 30.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु.19.96 करोड़) का लेखांकन नीति 17.2 (ii) के अनुसार परिशोधन किया है। उक्त रकम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा संबंधित प्रतिभूतियों के मूल्य को उस सीमा तक कम कर दिया गया है. रु. 193.49 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 164.51 करोड़) की रकम भविष्य में परिशोधन हेतु शेष है।
- vi. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों की श्रेणियों में फेरबदल किया है. रु. 55.09 करोड़ (पिछले वर्ष 199.71 करोड़) तक की राशि के ऐसे अंतरण परवर्ती अवक्षयण को इन प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य में कमी करते हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है। इसे विनिधानों की कुल अवक्षयण राशि रु. 83.00 करोड़ (पिछले वर्ष 270.69 करोड़) में शामिल करते हुए लाभ एवं हानि खाते में नामें डाला गया है.
- vii. बैंक ने उसके द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रु. 21.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 21.72 करोड़) का निवेश किया हैं. जिसमें से रु. 20.32 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 20.32 करोड़) का निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुर्नपूंजीकरण हेतु शेयर पूंजी जमाराशियों के रूप में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश में से एक के मूल्य में हुई कमी का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इस निवेश को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लागत पर मूल्यांकित किया गया है.
- v. The Bank has amortized Rs. 30.71 crores during the year (Previous year Rs. 19.96 crores) for securities classified under "Held to Maturity" category, in terms of accounting policy 17.2(ii). The amount has been charged to Profit and Loss Account and value of the respective securities is reduced to that extent. An amount of Rs. 193.49 crores (Previous year Rs. 164.51 crores) remains to be amortized in future.
- vi. In accordance with the guidelines issued by RBI, the bank has shifted securities within the categories during the year. The consequential depreciation on such shifting amounting to Rs. 55.09 crores (Previous year Rs. 199.71 crores) has been charged to Profit and Loss Account by reducing book value of these securities and is included in the total depreciation on investments amounting to Rs. 83.00 crores (Previous year Rs. 270.69 crores) debited to Profit and Loss Account.
- vii. The Bank has investment of Rs. 21.72 crores (Previous year Rs. 21.72 crores) in two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. This includes Investment of Rs. 20.32 crores (Previous year Rs. 20.32 crores) by way of Share Capital deposits, towards recapitalisation of the RRBs. Diminution in value of Investment in one of the RRB has not been recognized as the said investment has been valued at cost in accordance with the RBI guidelines.

18.8 व्युत्पन्न Derivatives:

क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रु. करोड़ में)
(Rs in crores)

a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

मदें Items	2006-07	2005-06
i. स्वैप करार का कल्पित मूलधन The notional principal of swap agreements	200	200
ii. यदि प्रति पक्ष करार के तहत अपने दायित्व पूर्ण करने में असफल होते हैं तो होने वाली संभावित हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligations under the agreements	—	—
iii. स्वैप में दर्ज होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	—	—
iv. स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	—	—
v. स्वैप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	200	200

ख) विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न

b. Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

बैंक ने वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन नहीं किए ह.

The bank has not undertaken exchange traded interest rate derivative transactions during the year.

ग) व्युत्पन्न में जोखिम सीमा का प्रकटन

c. Disclosures on risk exposure in derivatives:

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक व्युत्पन्न के व्यापार में सक्रिय नहीं है और उसे इस संबंध में अभी नीति बनानी है. ऋण के क्रय हेतु (गिरवी प्रतिभूतियों सहित) एक सौदा एकल ब्याज दर स्वैप रु. 200 करोड़ का बैंक की ओर से विशेष उद्देश्य के प्रयोजन हेतु किया गया.

अनुसूचियां SCHEDULES

i. Qualitative disclosure

The bank is not actively engaged in trading of derivatives and is yet to formulate any policy in this regard. A single transaction relating to Interest rate swap of Rs. 200 crores, linked to purchase of loan (mortgage backed securities) through a Special Purpose Vehicle on behalf of the bank is outstanding.

ii. परिमाणत्मक प्रकटन

(रु. करोड़ में)

ii. Quantitative Disclosure

(Rs. in crores)

क्रम संख्या SI. No.	विवरण Particulars	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल रकम) Derivatives (Notional Principal Amount) क) a) वित्तीय हानि से बचाव के लिए For hedging ख) b) व्यापार के लिए For trading	— —	200 —
(ii)	बाजार स्थिति का बही में अंकन (1) Marked to Market Positions [1] क) a) आस्ति Asset (+) ख) b) देयता Liability (-)	— —	— —
(iii)	ऋण जोखिम (2) Credit Exposure [2]	—	200
(iv)	एक प्रतिशत के प्रभाव की संभावना ब्याज दर में परिवर्तन (100* पी. वी. 01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) क) a) वित्तीय हानि से बचाव व्युत्पन्न पर on hedging derivatives ख) b) व्यापार व्युत्पन्न पर on trading derivatives	— —	— —
(v)	वर्ष के दौरान 100* पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year क) a) वित्तीय हानि से बचाव पर on hedging ख) b) व्यापार पर on trading	— —	— —

18.9 आस्ति गुणवत्ता Asset Quality:

क) गैर निष्पादक आस्तियां

(रु. करोड़ में)

a) Non Performing Assets:

(Rs. in crores)

	विवरण Particulars	2006-07	2005-06
i.	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियां (%) Net NPA to Net Advances (%)	1.99%	3.04%
ii.	सकल गैर निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़ Movement of Gross NPAs		
	अथ शेष* Opening Balance *	949.40	1147.54
	वर्ष के दौरान परिवर्धन** Additions during the year **	533.76	333.97
	वर्ष के दौरान कमी** Reductions during the year **	738.68	532.11
	इति शेष Closing Balance *	744.48	949.40
iii.	निवल गैर निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़ Movement of Net NPAs		
	अथ शेष* Opening Balance	432.85	591.00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन** Additions during the year **	235.78	241.89
	वर्ष के दौरान कमी** Reductions during the year **	303.83	400.04
	इति शेष Closing Balance	364.80	432.85

अनुसूचियां SCHEDULES

	विवरण Particulars	2006-07	2005-06
iv.	गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ Movement of Provision for NPAs		
	अथ शेष Opening Balance	499.46	536.17
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provisions made during the year	287.90	236.91
	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे डालना/पुनरांकन करना Less: Write off / write back of excess provisions during the year	414.78	273.62
	इति शेष Closing Balance	372.58***	499.46

* सकल गैर निष्पादक आस्तियों से प्रत्यावर्तित अप्राप्त ब्याज को घटाकर

* Net of unrealized interest reversed from Gross NPA.

** इनमें खातों में नामे जमा की गई प्रति प्रतिविष्टियाँ और समायोजन प्रतिविष्टियाँ शामिल हैं जिसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है।

** Includes contra entries/adjustment entries debited/credited in accounts, the effect of which is not eliminated.

*** इनमें एआरसी को आस्तियों की बिक्री पर रुपये 7.38 करोड़ का अधिक प्रावधान शामिल हैं।

*** includes Rs. 7.38 crore excess provision retained on account of sale of assets to ARC.

ख) पुर्नगठन की शर्तों पर ऋण आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring:

(Rs. in crores)

	मदें Items	2006-07	2005-06
i.	पुर्नगठन, पुर्नअनुसूची, पुर्नसमझौता की शर्त पर ऋण आस्तियों की कुल रकम Total amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; -इसमें से सीडीआर के तहत - Of which under CDR	131.75 91.22	79.13 66.73
ii.	पुर्नगठन, पुर्नअनुसूची, पुर्नसमझौता की शर्तों पर मानक आस्तियों की रकम Amount of Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; -इसमें से सीडीआर के तहत - Of which under CDR	72.32 33.36	79.13 66.73
iii.	पुर्नगठन, पुर्नअनुसूची, पुर्नसमझौता की शर्तों पर उपमानक आस्तियों की रकम Amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; -इसमें से सीडीआर के तहत - Of which under CDR	53.41 52.15	— —
iv.	पुर्नगठन, पुर्नअनुसूची, पुर्नसमझौता की शर्त पर संदिग्ध आस्तियों की रकम Amount of Doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; - इसमें से सीडीआर के तहत - Of which under CDR	6.02 5.71	— —

ग) वर्ष के दौरान किया गया निगमित ऋण पुर्ननिर्माण (सीडीआर):

(रु. करोड़ में)

c) Corporate Debt Restructuring (CDR) undertaken during the year

(Rs. in crores)

सीडीआर मामले (आस्ति प्रकार) CDR Cases (Asset type)	2006-07			2005-06		
	खातों की संख्या Number of accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	परित्याग की राशि Amount of sacrifice	खातों की संख्या Number of accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	परित्याग की राशि Amount of sacrifice
मानक Standard	1	33.36	8.64	2	66.73	8.54
उप मानक Sub Standard	1	52.15	-	-	-	-
संदिग्ध Doubtful	4	5.71	-	-	-	-
कुल Total	6	91.22	8.64	2	66.73	8.54

अनुसूचियां SCHEDULES

घ) आस्ति पुर्ननिर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुर्ननिर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण
d) Details of Financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

मर्दे Item	2006-07	2005-06
i. खातों की संख्या No. of accounts	32	2
ii. एस.सी./आर.सी. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	23.72	31.11
iii. कुल प्रतिफल Aggregate consideration	103.08	61.47
iv. पिछले वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v. निवल बही मूल्य पर कुल लाभ Aggregate gain over net book value.	79.36	30.36*

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वसूल होने पर निर्धारित किए जाने वाले रु. 22.72 करोड़ का समावेश है।

*Consists of Rs. 22.72 crore to be recognized on realization in accordance with RBI guidelines.

18.10 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

मर्दे Item	2006-07	2005-06
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान * Provision for Standard Assets *	32.88	42.92
*जिनमें पुर्नगठित खाते में ब्याज अधित्याग का प्रावधान भी सम्मिलित है *Includes provision for interest sacrifice on restructured accounts		

18.11 कारोबार का अनुपात Business Ratios:

विवरण Particulars	2006-07	2005-06
i. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज की आय Interest Income as a percentage to Working funds	7.47%	7.03%
ii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय Non-Interest Income as a percentage to Working funds	1.38%	1.75%
iii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन गत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.24%	2.40%
iv. आस्तियों पर प्रतिफल Return on Assets	0.71%	0.29%
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम) (रु. करोड़ में) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in crores)	4.58	3.64
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाखों में) Profit per employee (Rupees in lacs)	1.99	0.72

18.12 आस्ति देयता प्रबंधन Asset Liability Management:

आस्ति एवं देयताओं की निश्चित मर्दों की परिपक्वता का स्वरूप

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(रु. करोड़ में) (Rs in crores)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	जोड़
Particulars	1 to 14 Days	15 to 28 Days	29 Days to 3 Months	Over 3 Months to 6 Months	Over 6 Months to 12 Months	Over 1 Year to 3 Years	Over 3 Years to 5 Years	Over 5 Years	Total
जमा राशि Deposits	1131.47	408.17	2270.72	1736.25	4062.81	16518.28	902.54	659.67	27689.91
अग्रिम Advances	1930.70	604.70	646.26	492.54	775.27	9051.25	1991.26	3191.09	18683.07
विनिधान Investments	88.14	29.50	416.61	109.84	115.03	1163.60	799.76	6602.06	9324.54
उधार Borrowings	450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.02	450.95
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	647.90	72.28	254.72	194.90	1.25	7.70	0.00	0.23	1178.98
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	37.60	4.99	30.39	31.69	87.05	243.99	5.34	3.59	444.64

प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा मान्य

Compiled by the Management and relied upon by the auditors

अनुसूचियां SCHEDULES

18.13 अस्थिर क्षेत्रों को उधार

Lending to Sensitive Sector:

क) भूसंपदा क्षेत्र को ऋण निवेश

a) Exposure to Real Estate Sector:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

श्रेणी Category	2006-07	2005-06
क) प्रत्यक्ष ऋण निवेश		
a) Direct Exposure		
i. आवासीय बंधक Residential Mortgages		
- रु. 15 लाख तक वैयक्तिक आवास ऋण		
- Individual Housing Loans limit up to Rs. 15 lacs	1316.49	907.43
- अन्य Others	533.45	151.93
जोड़ Total	1849.94	1059.36
ii. वाणिज्यिक भूसंपदा Commercial Real Estate	196.64	71.85
iii. समर्थित बंधक में विनिधान प्रतिभूति (एमबीडी) और अन्य प्रतिभूतिकृत निवेश Investment in Mortgage Backed Securities (MBD) and other securitised exposure	200.65	200.61
ख) अप्रत्यक्ष ऋण निवेश		
b) Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य आवासीय वित्तीय कम्पनियों पर निवेश Exposure on National Housing Bank and other Housing Finance Companies	929.54	463.70

प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा मान्य

Compiled by the Management and relied upon by the auditors

ख) पूंजी बाजार में निवेश

b) Exposure to Capital Market:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

		2006-07	2005-06
1	इक्विटी शेयरों में किया गया विनिधान Investments made in Equity shares	70.60	72.42
2	परिवर्तनीय बंधपत्र/डिबेंचर में विनिधान Investments in convertible bonds/ Debentures	0.00	0.00
3	इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में विनिधान Investments in Units of equity oriented mutual funds	0.50	2.50
4	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) बांड और डिबेंचर, इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में विनिधान के लिए व्यक्तियों को शेयर खरीदने के लिए अग्रिम Advances against shares to individuals for investment in equity shares (including IPOs/ ESOPS), bonds and debentures, units of equity oriented mutual funds	1.57	1.82
5	दलालों को सुरक्षित तथा असुरक्षित अग्रिम एवं उनके तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी की गई गारंटीयां Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	101.64	90.51
	जोड़ Total	174.31	167.25
	उपर्युक्त में से मार्जिन व्यापार के लिए दलालों को प्रदत्त कुल वित्त Of the above, total finance extended to stock brokers for margin trading	0.00	0.00

प्रबंधनवर्ग द्वारा संकलित एवं लेखापरीक्षकों द्वारा मान्य

Compiled by the Management and relied upon by the auditors

अनुसूचियां SCHEDULES

ग) जोखिम श्रेणी वार देश वित्त

विदेशी मुद्रा लेन देनों के संबंध में, जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक देश के लिए निधि आधारित जोखिम की गणना की गई है और वह बैंक की कुल निवल आस्तियों के 1%से अधिक है, तो ऐसे मामलों में अपेक्षित प्रावधान निम्न अनुसार किया गया है.

- कम महत्वपूर्ण (क - 1)

c) Risk Category wise country exposure:

In respect of Foreign Exchange transactions, where the Bank's net funded exposure computed as per the guidelines of the RBI with each country exceeded 1% of the total assets of the Bank, the required provision is made as under:

- Insignificant category (A1)

निवल निधि जोखिम Net funded exposure

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

देश Country	31.03.2007	31.03.2006
जर्मनी Germany	321.35	126.48

उपरोक्त ऋण विस्तार पर कुल प्रावधान रु. 0.20 करोड़ (गत वर्ष शून्य) किया गया है.

The aggregate provision held on above exposure is Rs. 0.20 crore (Previous year Rs. Nil)

घ) बैंक द्वारा स्वीकृत एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल)

वर्ष के दौरान बैंक ने किसी समूह उधारकर्ता को विवेकसम्मत ऋण सीमा स्वीकृत नहीं की है. फिर भी बैंक ने निम्नलिखित मामलों में निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति ने निम्न एकल उधारकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत ऋण सीमाएं स्वीकृत की है जिन्हें बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा.

d) Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year the Bank has not exceeded the prudential credit exposure limit in respect of any Group account. However, in the following cases the bank has exceeded by the approval of Management Committee of the Board the prudential exposure limits laid down by RBI, for single borrowers which will be placed before the Board of Directors of the Bank for ratification:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

क्र.सं. Sr. No.	उधारकर्ता का नाम Name of the borrower	ऋण राशि Amount of Exposure
1	सांघी इंडस्ट्रीज लि. Sanghi Industries Ltd	242.00
2	यस बैंक Yes Bank	228.00

18.14 वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है.

The Bank was not subjected to any penalty by Reserve Bank of India during the year.

18.15 वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में नामें डाले गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण:

Details of Provisions and Contingencies debited to the Profit and Loss Account during the year:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

ब्यौरा Particulars	2006-07	2005-06
(i) गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Non Performing Assets	287.90	236.91
(ii) आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax	(-)34.02	(-) 27.52
(iii) आस्थगित कर देयताएं (निवल) Deferred Tax Liability (Net)	64.09	4.23
(iv) अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Provision for Fringe Benefit Tax	1.39	1.80
(v) पुर्नसंरचित खातों पर ब्याज अधित्याग सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets including interest sacrifice on restructured accounts	32.88	42.92
(vi) विनिधानों पर अवक्षयण के लिए प्रावधान Provision for Depreciation on Investments	83.00	270.69
(vii) आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities	(-) 0.76	(-) 1.44
(viii) अन्य Others	(-) 0.67	(-) 0.22
जोड़ Total	433.81	527.37

अनुसूचियां SCHEDULES

18.16 आयकर के लिए प्रावधान

क) बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए किए गए 1995-96 तक के प्रावधानों का दावा कटौती के रूप में पेश किया। संबंधित सभी वर्षों के आयकर निर्धारण आदेशों के खिलाफ दायर बैंक की अपील को मुख्य आयकर आयुक्त (अपील) ने स्वीकार किया जिसके परिणाम-स्वरूप वित्त अधिनियम 2001 में दिनांक 1.4.1989 से प्रभावी भूतलक्षी संशोधनों के अनुसार अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत बट्टे खाते हेतु कटौतियों की प्रावधान की राशि में वास्तविक रूप से बट्टे खाते डाली गई राशियों पर ही कटौती को लागू किया जाएगा। तथापि, विशेषज्ञों की राय पर बैंक का यह विचार है कि अधिनियम में उक्त संशोधन होने के बावजूद आयकर हेतु किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

18.16 Provision for Income Tax:

- a) The bank had claimed provision towards non-performing advances as deduction under Section 36(1)(vii) of the Income Tax Act, 1961 up to financial year 1995-96. This claim was allowed by CIT (Appeals) in the appeals against the assessment orders for all the relevant assessment years. As a result of retrospective amendment with effect from 1.4.1989 made by Finance Act, 2001, deduction for Bad Debts u/s 36(1)(vii) of the Act is to be allowed on the amount actually written off as Bad Debts instead of provision towards non performing advances. However, in view of experts' opinion, the bank is of the view that no additional provision for income tax is necessary inspite of the aforesaid amendment made in the Act.
- ख) वर्ष के दौरान पिछले वर्षों से संबंधित आयकर के लिए किए गए विविध मूल्यांकनों/अपीलों/संशोधन आदेशों/अतिरिक्त प्रावधानों के अनुसरण में, जिनकी आगे आवश्यकता नहीं है, रु. 54.54 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 35.19 करोड़) की राशि को बट्टे खाते डाल दिया गया है तथा इसे निवल लाभ में समाहित कर लिया गया है।
- b) During the year, pursuant to various assessments / appellate / rectification orders, excess provision for Income Tax pertaining to earlier years, no longer required, has been written back to the tune of Rs. 54.54 crores (Previous year Rs. 35.19 crores) and included in the net profit for the year.
- ग) वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधान की राशि
- c) Amount of provision made for Income-tax during the year; (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income-tax for the year	20.52	7.67
घटाएं: पिछले वर्षों हेतु संचित वापसी Less: Written back for earlier years	(-)54.54	(-)35.19
निवल राशि Net amount	(-)34.02	(-)27.52

18.17 परिसरों में बैंक द्वारा दूसरे बैंक के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति में 1/3 भाग के सहित परिसर शामिल है।

Premises includes 1/3rd share in a property jointly owned by the bank with another Bank, as under:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

बैंक का भाग Bank's share	31.03.2007	31.03.2006
लागत Cost	2.34	1.44
संचित मूल्यहास Accumulated Depreciation	0.47	0.37
मूल्यहासित मूल्य Written Down Value	1.87	1.07

वर्ष 2005-06 के दौरान संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया गया तथा पुनर्मूल्यांकित संपत्ति का मूल्यहासित मूल्य रु. 15.57 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 17.02 करोड़) है।

The property was revalued during the year 2005-06 and the Written Down Value of the revalued property is Rs. 15.57 crores. (previous year Rs. 17.02 crore)

18.18 i) ग्राहकों की शिकायतें Customer complaints:

क) a) वर्ष के आरंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	19
ख) b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	387
ग) c) वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	396
घ) d) वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	10

अनुसूचियां SCHEDULES

- ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड
Awards passed by the Banking Ombudsmen :

क)	वर्ष के आरंभ में गैर कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	
a)	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	2
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या	
b)	No. of awards passed by Banking Ombudsmen during the year	24
ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	
c)	No. of awards implemented during the year	25*
घ)	वर्ष के अन्त में गैर कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	1

प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा मान्य

Compiled by the Management and relied upon by the auditors

* इनमें 2 अवार्ड ऐसे भी शामिल हैं जो बैंक के पक्ष में निर्णीत हैं, अतः कार्यान्वयन अपेक्षित नहीं हैं।

* includes 2 awards decided in the favour of the Bank, hence, implementation not required

18.19 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन (ए.एस.):

- क) लेखांकन मानक 5 के अनुसार प्रकटन:
- वर्ष के दौरान बैंक ने कमीशन/बैंक गारंटियों पर रेफरल फीस, तीसरे पक्ष के उत्पादों/सेवाओं का वितरण जिनमें सरकारी कारोबार, म्युचुअल फंड की यूनिटें, जीवन बीमा तथा साधारण बीमा पॉलिसियां शामिल हैं, से प्राप्त आय के निर्धारण हेतु अपनी लेखांकन पद्धति को उपचित पद्धति से परिवर्तित करके नकद आधार पर कर दिया है, इस परिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान वर्ष के लाभ में रु. 11.31 करोड़ (कराधान के बाद) की वृद्धि हुई है तथा साथ ही अन्य संदर्भित देयताओं पर भी परिणामी प्रभाव पडा है।
 - वर्ष के दौरान बैंक ने एच.टी.एम. प्रतिभूतियों के परिशोधन की सीधी रेखा वाली पद्धति को निरंतर उपज वाली पद्धति में परिवर्तित किया है, इस परिवर्तन के कारण वर्तमान वर्ष के लाभ में रु. 5.27 करोड़ की कमी हुई है तथा साथ ही निवेशों पर भी परिणामी प्रभाव पडा है।
 - निवल लाभ में गैर निष्पादक आस्तियों की ए.आर.सी. को बिक्री से प्राप्त रु. 46.21 करोड़ (कराधान के बाद) का आधिव्य भी शामिल है. इस आधिव्य का निर्धारण बिक्री की राशि में से निवल बही मूल्य (बही मूल्य-प्रावधान) को कम करते हुए किया गया है, जो प्रबंधन की दृष्टि में भा.रि. बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार उचित है. भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी आस्तियों की बिक्री पर रु. 7.04 करोड़ के अधिक प्रावधान को सुरक्षित रख लिया गया है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल ही के दिशानिर्देशों के अनुसार एच.टी.एम. श्रेणी की प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की राशि रु. 30.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 19.96 करोड़) को भूतपूर्व परस्परा के अनुसार "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" के स्थान पर "अन्य आय" में से कम करके दिखाया गया है।

ख) लेखांकन मानक - 11:

वर्ष के लिए लाभ हानि लेखों में जमा किये गए विनिमय अंतरों के कारण निवल आय रु. 30.76 करोड़ (पिछले वर्ष 25.26 करोड़) है।

ग) लेखांकन मानक 17 के तहत खण्ड रिपोर्टिंग:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डी.बी.ओ.डी. बी.पी.बी.सी. 89/21.04.018/2002-03 दिनांक 29.03.2003 के अनुसार बैंक के परिचालनों को दो प्रमुख कारोबार खण्डों अर्थात् राजकोष परिचालन और अन्य बैंकिंग परिचालन में

18.19 Disclosure as per Accounting Standards (AS):

- a) Disclosure as per AS 5:
- During the year, Bank has changed its accounting policy from accrual method to cash basis for recognizing the income by way of commission / referral fee on bank guarantees, distribution of third party products / services including, Govt. business, units of mutual funds, life / general insurance policies and others. As a result of this change, current year's profit is increased by Rs. 11.31 crore (net of taxes) with consequential net impact on other liabilities.
 - During the year, bank has changed the method of amortization of HTM securities from straight line method to constant yield method. Due to this change, current year's profit is decreased by Rs. 5.27 crores with consequential impact on investments.
 - Net profit includes surplus of Rs. 46.21 crores (Net of Taxes) on account of sale of Non Performing Assets to ARC. This surplus is determined by reducing the net book value (i.e. book value less provision held) from the sale consideration, which in the opinion of the management is appropriate as per RBI Guidelines. Excess provision of 7.04 crores on sale of such assets has been retained as per RBI guidelines
 - As per recent RBI Guidelines, amortisation of premium of Rs. 30.72 crores (Previous year Rs. 19.96 crores) on security held under HTM Category is shown as deduction from "Other Income", instead of including the same under the head, "Provision & Contingencies" as per the past practice.
- b) Disclosure as per AS 11:
Net income on account of exchange differences credited in the Profit and Loss Account for the year is Rs. 30.76 crores (Previous year Rs. 25.26 crores).
- c) Segment Reporting under Accounting Standard 17:
The Bank's operations are classified into two primary Business Segments viz. 'Treasury operations' and 'Other Banking operations' in accordance with the RBI circular dated DBOD.No.BP. BC. 89/21.04.018/2002-03 dated

अनुसूचियां SCHEDULES

वर्गीकृत किया गया है. संबंधित सूचना/आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

March 29, 2003. The relevant information/data is given hereunder:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

कारोबार खण्ड Business Segments	राजकोष परिचालन Treasury Operations		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06
राजस्व Revenue	211.94	366.98	2276.48	1771.73	2488.42	2138.71
परिणाम Result	16.90	(121.74)	204.06	101.02	220.96	(20.72)
गैर आबंटित व्यय Unallocated expenses	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	9.56	9.99
गैर आबंटित आय Unallocated Income	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	21.62	24.09
परिचालनगत लाभ (कर पूर्व लाभ) Operating Profit (Profit before Tax)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	233.02	(4.82)
आयकर (आस्थगित कर आस्तियों सहित) Income Taxes (incl. DTA)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	31.46	(23.29)
असाधारण लाभ/हानि (गैर आबंटित आय) Extraordinary Profit / Loss (unallocated income)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	-	56.32
निवल लाभ Net Profit	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	201.56	72.99
अन्य सूचना Other Information						
खण्ड आस्तियां Segment Assets	2589.10	2837.50	28588.27	23336.62	31177.37	26174.12
गैर आबंटित आस्तियां Unallocated Assets	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	273.28	371.21
कुल आस्तियां Total Assets	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	31450.65	26545.33
खण्ड देयताएं Segment Liabilities	0.00	0.00	29954.22	25206.66	29954.22	25206.06
गैर आबंटित देयताएं Unallocated Liability	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1496.43	1339.27
कुल देयताएं Total Liabilities	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	31450.65	26545.33

बैंक में कोई गौण (भौगोलिक) खण्ड नहीं है.

The Bank does not have any secondary (geographical) segment.

टिप्पणी:

- 1) अन्तर खण्ड लागत के कारण खण्ड परिणाम समायोजन के बाद ही निकलते हैं, जिन्हे बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्तरण मूल्य व्यवस्था के आधार पर मान लिया गया है.
- 2) कल्पित अन्तर वर्ग आस्तियों, देयताओं और राजस्व को छोड़ दिया गया है.
- 3) सांविधिक चलनिधि अनुपात की आवश्यकताओं के लिए धारित विनिधानों को छोड़कर राजकोष परिचालन में बैंक के घरेलू विनिधान पोर्टफोलियो का समावेश है.
- 4) लाभ एवं हानि लेखे के नामे शेष की पूंजी एवं आरक्षित निवल यदि कोई हो, गैर आबंटित देयताओं में शामिल हैं.
घ) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में संबंधित लेन-देनों से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं.

Notes:

- 1) Segment Results are after adjustment on account of Inter Segment Cost, which has been considered on the basis of Transfer Price mechanism decided by the Bank.
- 2) Assumed Inter Segment Assets, Liabilities and Revenue are ignored.
- 3) Treasury Operation consists of domestic investment portfolio of the Bank excluding investments held for SLR requirements.
- 4) Unallocated liabilities include Capital and Reserves net of debit balance in Profit & Loss Account, if any.
d) In compliance with Accounting Standard 18 issued by ICAI and RBI guidelines, details pertaining to Related Party Transactions are disclosed as under:

महत्वपूर्ण प्रबन्धन वर्ग Key Management Personnel

नाम Name	पदनाम Designation	मदें Item	अवधि Period	राशि (रुपयों में) Amount (in Rs.)	ऋण की राशि (रुपयों में) Loan Amount (in Rs.)
श्री पी.एल. गैरोला Shri P.L. Gairola	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD	संवेतन एवं परिलब्धियां Salary & Emoluments	17.05.2006 से 31.03.07	558972	शून्य Nil
श्री यू.एस. कोहली Shri U. S. Kohli	कार्यपालक निदेशक ED	संवेतन एवं परिलब्धियां Salary & Emoluments	01.04.2006 से 31.03.07	523254	शून्य Nil

अनुसूचियां SCHEDULES

ड) प्रति शेयर अर्जन - लेखांकन मानक 20 Earning per Share - Accounting Standard 20:

प्रति शेयर अर्जन Earning Per Share	31.3.2007	31.3.2006
प्रति शेयर अर्जन मूल एवं ह्रासित* (रुपये) EPS Basic & Diluted* (Rs.)	7.03	2.54
निर्देशांक रूप में (रुपये करोड़ में) मान्य लाभ व हानि लेखे के अनुसार निवल लाभ Net Profit as per Profit & Loss Account Considered as numerator (Rs. in crores)	201.56	72.99
मूल्य वर्ग के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity share considered as denominator	28,68,23,200	28,68,23,200
शेयर का अंकित मूल्य (रु.) Nominal value of share (Rs.)	10/-	10/-

*इसमें कोई ह्रासित संभाव्य शेयर नहीं हैं *There are no diluted potential equity shares

च) आय पर कर - लेखांकन मानक 22:

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए 'आय पर लेखांकन मानक 22' की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। 31 मार्च 2007 को रु. 146.82 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 210.91 करोड़) की रकम की आस्थगित कर आस्तियों के निवल शेष में निम्नलिखित समाविष्ट है।

f) Taxes on Income – Accounting Standard 22:

The Bank has complied with requirements of "AS 22 on Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognized.

The net balance of Deferred Tax Asset as on 31st March 2007 amounting to Rs.146.82 crore (Previous year Rs. 210.91 crore) consists of the following :

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

	2006-07	2005-06
आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets		
गैर निष्पादक आस्तियों / अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान Provision for NPAs / Bad Debts	125.41	168.12
अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	10.21	8.02
एच.टी.एम. प्रतिभूतियों से संबंधित परिशोधित प्रीमियम Amortised premium on HTM securities	22.06	11.72
सूचना प्रौद्योगिकी हेतु आगे ले जाने वाली पात्र हानि Eligible Loss to be carried forward for IT purpose	0.00	34.56
कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred Tax Assets	157.68	222.42
घटाएं: आस्थगित कर देयताएं: Less: Deferred Tax Liabilities		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास, साफ्टवेयर सहित Depreciation on Fixed Assets including software	10.86	11.51
कुल आस्थगित कर दायित्व Total Deferred Tax Liabilities	10.86	11.51
अनुसूची 11 (अन्य आस्तियों) में दर्शायी गयी आस्थगित कर आस्तियों का निवल शेष Net balance of DTA shown in the Schedule 11 (Other Assets)	146.82	210.91

छ) लेखांकन मानक 28: प्रबंधन की राय में उनकी आस्तियों में कोई अपसामान्य बात नहीं है जिन पर लेखांकन मानक एएस 28 लागू है।

ज) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों पर लेखांकन मानक 29 के अनुसार प्रकटन।

झ) देयताओं के प्रावधानों में घट-बढ़

g) Accounting Standard 28: In the opinion of the Management, there is no impairment to its assets, to which Accounting standard AS 28 is applicable.

h) Disclosure in terms of Accounting Standard 29 on provisions, contingent liabilities and contingent assets.

i) Movement of Provisions for Liabilities

(रु. करोड़ में)(Rs. in crores)

विवरण Particulars	कानूनी मामले/आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies
1 अप्रैल 2006 का शेष Balance as at 1st April 2006	2.72
वर्ष के दौरान प्रावधान Provided during the year	1.31
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि Amounts used during the year	—
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित Reversed during the year	2.07
31 मार्च 2007 का शेष Balance as at 31st March 2007	1.96
बाह्यगमन / अनिश्चितताओं का काल Timing of Outflow / Uncertainties	कानूनी विवाद का फैसला होने पर निर्भर Dependent on Outcome of Litigations
अपेक्षित प्रतिपूर्ति Reimbursement Expected	शून्य Nil

ii. आकस्मिक देयताओं के संबंध में तुलनपत्र की अनुसूची-12 की मद संख्या (i) से (v) अपने स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न प्रकार की आकस्मिक देयताओं को दर्शाती है। ये राशियां की गई मूल संविदा अथवा दावों से संबंधित कागजातों के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। इन आकस्मिक देयताओं के कारण बहिर्गमन न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा मुकदमों के निपटारे के परिणाम, संविदाओं के निष्पादन, गारंटी मांगने, साख पत्रों के हस्तांतरण, दावों के निपटान आदि पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में किसी भी प्रतिपूर्ति की संभावना का पता लगाना इस स्तर पर संभव नहीं है।

ii. Item Nos (i) to (v) of the Schedule 12 of the balance sheet on contingent liabilities, reflect the various types of contingent liabilities categorized according to their nature. These amounts are estimated on the basis of documents related to the basic contracts or claims made. Outflow on account of these contingent liabilities would depend upon the outcome of disposal of litigations by the respective judicial authorities, execution of contracts, invocation of guarantees, devolvement of LCs, settlement of claims etc. The possibility of any reimbursement in such cases is not ascertainable at this stage.

18.20 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार उन्हें पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

18.20 Previous year's figures have been regrouped/reclassified /re-arranged, wherever necessary, to make them comparable with the current year's figures.